भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 233
27.11.2024 को उत्तर देने के लिए

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को बंद करना

233. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र से 17वीं लोक सभा के सदस्यों की संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलएडी) निधि को वर्ष 2023 से बंद कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसे बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) स्वीकृत किए जा चुके विकास कार्यों का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा तथा इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संसद सदस्यों द्वारा 17वीं लोक सभा की रोकी गई एमपीएलएडी निधि को जारी करवाने के लिए माननीय मंत्री को पत्र लिखे गए हैं और यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा रोकी गई एमपीएलएडी निधि को जारी किया जाएगा?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग)और (ड़) संशोधित एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 और सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2023 से लागू नई निधि प्रवाह प्रणाली के अनुसार, मंत्रालय ने ई-साक्षी पोर्टल पर 17वीं लोकसभा के माननीय संसद सदस्यों को पहले ही प्राधिकार जारी कर दिए हैं और संशोधित एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के अनुसार माननीय सांसदों को अपनी संस्तुतियाँ केवल ई-साक्षी पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करनी हैं ।

इसके अतिरिक्त, माननीय सांसदों सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त संदर्भों के आधार पर मंत्रालय ने उन कार्यों के भुगतान के लिए ऑनलाइन समाधान यानी पूर्व एम.पी. मॉड्यूल विकसित किया है, जिनकी सिफारिश माननीय सांसदों द्वारा भौतिक रूप में की गई है और जिन्हें दिनांक 01.04.2023 से ई-साक्षी पोर्टल के लॉन्च के पश्चात उक्त पोर्टल में दर्ज नहीं किया जा सका है।

*****